



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082024-256710
CG-DL-E-28082024-256710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3325]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 28, 2024/भाद्र 6, 1946

No. 3325]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 28, 2024/BHADRA 6, 1946

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

का.आ. 3642(अ).—राष्ट्रीय पटसन बोर्ड अधिनियम, 2008 (2009 की सं. 12) की धारा 3 की उप-धारा 4(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 11.01.2024 की अधिसूचना सां.आ. 152(ई) के क्रम में, भारत सरकार एतद्वारा इस अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए लोक सभा के निम्नलिखित दो सदस्यों को राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में सदस्य के रूप में नामित करती है:-

- श्री सौमित्र खान, संसद सदस्य (लोक सभा)
- प्रो. सौगत राय, संसद सदस्य (लोक सभा)

[फा. सं. 3/1/2009-पटसन (पार्ट)]

प्राजक्ता एल. वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES**(Jute Section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2024

S.O. 3642(E).—In exercise of powers conferred by Sub Section 4(b) of Section 3 of National Jute Board Act, 2008 (No.12 of 2009) and in continuation to the Notification of the Government of India in the Ministry of Textiles S.O.152(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated 11.01.2024, Government of India hereby nominate the following two members of Lok Sabha to serve as member in the National Jute Board for a period of two years from the date of Notification:-

- (i) Shri Saumitra Khan, Member of Parliament, (Lok Sabha).
- (ii) Prof. Sougata Ray, Member of Parliament, (Lok Sabha).

[F. No. 3/1/2009-Jute (Pt.)]
PRAJAKTA L.VERMA, Jt. Secy.